

प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित संबंधित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा संस्था में प्रारम्भ हुए नए पी0जी0 पाठ्यक्रमों का विषयवार व सीटवार ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए समिति से व्यावहारिक शुल्क निर्धारण पर बल दिया गया। फीस नियतन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उसका संज्ञान लिया गया है।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के उक्त 07 मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु एतद्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं	संस्था का नाम	अवधि/ शैक्षणिक सत्र, जिसके लिए शुल्क निर्धारित किया जा रहा है।	निर्धारित अधिकतम शुल्क प्रतिछात्र प्रतिवर्ष		
			क्लीनिकल (रूपये में)	नान क्लीनिकल	
				पैथोलॉजी (रूपये में)	अन्य (रूपये में)
1	टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	2020-21	आवश्यकता नहीं	10,00,000.00	8,00,000.00
2	हेरिटेज इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	2020-21	14,30,376.00	10,00,000.00	8,00,000.00
3	रामा मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़	2020-21	14,30,376.00	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
4	हिन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर	2020-21	14,30,376.00	10,00,000.00	8,00,000.00
5	मेयो इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	2020-21	14,30,376.00	10,00,000.00	8,00,000.00
6	राजश्री मेडिकल कॉलेज, बरेली	2020-21	14,30,376.00	10,00,000.00	8,00,000.00
7	रामा मेडिकल कालेज रिसर्च सेन्टर एण्ड हॉस्पिटल, कानपुर	2020-21	14,30,376.00	शासनादेश दिनांक 09.03. 2019 द्वारा निर्धारित	शासनादेश दिनांक 09.03. 2019 द्वारा निर्धारित

7- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र